राजस्व अपील संख्या 12/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. ताजाराम पुत्र निम्बाराम जाट निवासी– मोतीनगर, तहसील सिणधरी, बाडमेर		1. तहसीलदार, सिणधरी, जिला बाडमेर। 2. नारणाराम पुत्र निम्बाराम 3. हरदानराम पुत्र निम्बाराम 4. कानाराम पुत्र पदमाराम 5. बाबूराम पुत्र पदमाराम 6. मुकनाराम पुत्र वीरमाराम 7. देराजराम पुत्र वीरमाराम 8. हिमताराम पुत्र वीरमाराम 9. गोमाराम पुत्र पुरखाराम 10. चिमाराम पुत्र पुरखाराम 11. जोगाराम पुत्र पुरखाराम 12. नेनाराम पुत्र पुरखाराम 13. हिरां देवी पत्नी पुरखाराम 14. राणाराम पुत्र रेखाराम 15. पुरोदेवी पत्नी रेखाराम 16. पेमीदेवी पत्नी मेहराराम 17. भूराराम पुत्र डालूराम 18. सवाराम पुत्र डालूराम 19. डाईदेवी पत्नी डालूराम जातियान जाट निवासी– मोतीनगर, तहसील सिणधरी, जिला बाडमेर। 20. व्यवस्थापक, बीसीसीसीबी शाखा सिणधरी 21. व्यवस्थापक एसबीबीजे शाखा सिणधरी, जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.12.2017 जो उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी, जिला बाडमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 167/2017 अनवान तहसीलदार सिणधरी वगैराह बनाम नारणाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री एम0आर0 पटेल, एन.आर. चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 की ओर से।
3– शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 01 मई, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए प्रकरण संख्या 167/2017 में पारित किये गये आदेश दिनांक 14.12.2017 के विरूद्ध पेश की गई है तथा अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करते समय राज0 भू राजस्व अधिनियम एवं राज0 काश्तकारी अधिनियम के मूल प्रावधानों की पालना नहीं की, मात्र राजस्व विभाग, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.8.2016 के आधार पर रास्ता दर्ज करने का

आदेश पारित किया गया है जो कानूनी तौर पर निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज करने के पश्चात अपीलान्ट को व्यक्तिगत तौर पर नोटिस तामील नहीं करवाया और न ही अपीलान्ट को गैर मुमकीन रास्ता काट कर कृषि भूमि का अकृषि दर्ज करने की जानकारी दी गई। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार सिणधरी की ओर से यह अंकित किया है कि ग्राम मोतीनगर के ख0सं0 113/6, ख0सं0 114 व ख0सं0 115 में बारहमासी रास्ता चल रहा है जबकि मौके पर उक्त खसरान भूमि में से कोई सडक ग्रेवल व बारहमासी रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को ख0सं0 113/2 के खातेदारों द्वारा गुमराह करते हुए सेटेलाईट नक्शे में कही और का इन्द्राज बताकर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जबकि ख0सं0 114 में कोई कदीमी रास्ता उपलब्ध नहीं है। ख0सं0 115 में कदीमी रास्ता अवश्य उपलब्ध है।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश के क्रम में अपीलान्ट की भूमि ख0सं0 114 की ढाणी के आगे मुहाने से रास्ता काटा गया है जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भंग करता है। तहसीलदार द्वारा जो प्रस्ताव व नजरी नक्शा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है वह एकतरफा व मनमाने रूप से तैयार किया गया है। नजरी नक्शा तैयार करते वक्त न भूमि की पैमाइश की और न ही अपीलान्ट को इसकी सूचना दी गई, मात्र जबरदस्ती रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव तेयार कर पेश कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार से कोई सूचना या नोटिस जारी नहीं किये गये व न ही नोटिस तामील करवाये गये है जिसकी पुष्टि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका से हो जाती है।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 16.1.2018 को पटवारी हल्का के द्वारा दी गई और बताया कि ख0सं0 115 के खातेदारों ने कदीमी रास्ता बता कर आपके खेत में रास्ता कटाण करवा दिया है। किसी खातेदारों द्वारा रास्ता चाहे जाने का कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने ही एकतरफा आदेश पारित करने में कानूनी व तथ्य की भूल की है जो गलत होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस जारी किये ही, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय आदेश पारित किया है ऐसे में अपीलाधीन आदेश काबिल खारिज होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि मौके पर ख0सं0 115 व ख0सं0 114 में कोई रास्ता नहीं चलता था। ख0सं0 115 व ख0सं0 114 की माठ से रास्ता निकालना चाहिये था जबकि आधा माठ पर चला व बाद में ख0सं0 114 के खेत के अन्दर से निकाल दिया गया जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 को निरस्त किया जावे तथा पूर्व में संचालित हो रहे कदीमी रास्ते को रास्ता दर्ज किये जाने हेतु उसे रास्ते के खातेदारों को नोटिस देकर रास्ता निकाले जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

... की ओर राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार सिणधरी की ओर से प्रस्ताव पेश कर ग्राम मोतीनगर के ख0सं0 113/6, 114 व 115 में चल रहे बारहमासी रास्ते को सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया जिस पर सभी खातेदारान को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपीलाधीन आदेश के द्वारा उक्त खसरान भूमि में चल रहे बारहमासी रास्ते की भूमि/भाग को राजस्वरेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का अपीलाधी आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखा जावे।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 14.12.2017 का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि तहसीलदार, सिणधरी की प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोतीनगर, तहसील सिणधरी के ख0सं0 113/6, 114 व 115 में बारहमासी/कदीमी रास्ता चल रहा है। उक्त रिपोर्ट अनुनसार उक्त रास्ता सिणधरी –जालोर हाईवे से गुगरवालों की ढाणी तक चलता है व रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलान्टस) को जारी नोटिस विधिवत तामील होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से दृष्टिगोचर होता है। कदीमी रास्ते को व्यापक जनहित में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अनुसार खातेदारी भूमि में से चालू स्थाई, सार्वजनिक रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदार की खातेदारी में रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्तानुसार पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन व आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 01 मई, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर